

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 1977 ज्येष्ठ 20, 1899

No. 238]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 1977/JYAISTHA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June 1977

S.O. 391(E)—Whereas the Election Commission by its notification No. 464/77, dated 25 February, 1977, changed the date of poll in 4-Ladakh Parliamentary Constituency from 19 March, 1977, as appointed by the Commission by its notification No. 464/77, dated 10 February, 1977 to 6 June, 1977 and by its notification No. 464/J&K-HP/77, dated 20 May, 1977 from 6 June, 1977 to 30 June, 1977,

And whereas it has now been decided to take the poll in the above mentioned Parliamentary Constituency alongwith the poll for the general election to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly from 43-Leh and 44-Kargil assembly constituencies, to be held in pursuance of the Governor's notification, dated 30 May, 1977,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 30 and 153 of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in partial modification of its notification No. 464/77, dated 25 February, 1977, the Election Commission hereby makes

the following amendments to its Notification No. 464/77, dated 10 February, 1977, as amended from time to time, namely—

- (i) In clause (d)(ii) relating to the Completion of the election in 4-Ladakh Parliamentary Constituency for the figures and words "9 July 1977 (Saturday)", the figures and words "11 July 1977 (Monday)", shall be substituted.
- (ii) In the Schedule to the notification under item 7-JAMMU AND KASHMIR, in column 2 for the existing entry against S No. 4-Ladakh, the entry "12 July, 1977 (Sunday)", shall be substituted

[No. 464/J&K-HP/77]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1977

का० धा० 391(अ).—निर्वाचन आयोग ने 4 लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपनी अधिसूचना सं० 464/77 तारीख 10 फरवरी, 1977 द्वारा यथा नियत की गई मतदान की तारीख 19 मार्च, 1977 को अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 25 फरवरी, 1977 द्वारा बदल कर 6 जून, 1977 कर दिया था, और अपनी अधिसूचना सं० 464/ज० क०-लो० सं०/77, तारीख 20 मई, 1977 द्वारा 6 जून, 1977 को बदल कर 30 जून, 1977 कर दिया था,

और, अब, उपर्युक्त समदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान, 43. लेह और 44. कारगिल विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से जम्मू-कश्मीर विधान सभा के लिए राज्यपाल की तारीख 30 मई, 1977 की अधिसूचना के अनुसरण में होने वाले साधारण निर्वाचन के लिए मतदान के साथ कराने का विनिश्चय किया गया है ,

अतः, अब, निर्वाचन आयोग साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 और धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 25 फरवरी, 1977 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, तत्पश्चात् यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 464/77 तारीख 10 फरवरी, 1977 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करना है, अर्थात् :—

- (i) 4. लद्दाख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लेने से संबंधित खण्ड ध (ii) में, "9 जुलाई, 1977 (शनिवार)" शर्कों और शब्दों के स्थान पर, "11 जुलाई, 1977 (सोमवार)" शर्क और शब्द रखे जाएंगे ।
- (ii) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 7. जम्मू-कश्मीर के नीचे स्तम्भ 2 में, क्र० सं० 4 लद्दाख के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "3 जुलाई, 1977 (रविवार)" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[स० 464/ज० क०-लो० सं०/77]

आदेश मे,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मृद्वित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977